न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.
वाद संख्या 27/2020
अर्न्तगत धारा 88, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

1. जगदीश कुमार पुत्र श्री सुमार राम जाति मेघवाल निवासी–गांव कालियां तहसील व जिला श्री गंगानगर।
.... वादी

ब ना म

1. प्रताप राम पुत्र श्री सुमार राम जाति मेघवाल निवासी–गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
3. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कालियां
.. प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री मुकेश कुमार हरलालानी	(अधिवक्ता वादी)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–2)

दिनांक: 08 सितम्बर,2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का स्थाई निवास वाद शीर्षक में अकित है और वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 हकीकी भाई। वाद दो प्रतियों में पेश है तथा शपथ पत्र से समर्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रताप राम पुत्र श्री सुमार राम ने जरिये बैयनामा अर्सा दराज से ग्राम 3 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 69/46 मुरब्बा नम्बर 51 में कुल 6.325 हैक्टयेर नहरी भूमि खरीद शुदा है जो कि मय खाला दर्ज कागजात राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 बहिस्सा बराबर के मालिक व काबिज है। उक्त खाता में वादी का नाम जगदीश कुमार अंकित है। इसी प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से ही इसी चक 3 जी बड़ी तह श्रीगंगानगर पटवार हल्का कालियां के खाता संख्या 68/45 के मुरब्बा नम्बर 61 में 1.0860 हैक्टयेर नहरी / गैर मु0आवासीय के दर्ज कागजात राजस्व रिकार्ड है जिसमें भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 बराबर मालिक व काबिज है, जो दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी सलंग्न वाद पत्र है। जिसमें वादी का नाम लिपिकीय भूल से जगजीत राम हो गया है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] कृषि भूमि की स्वयं काश्त एवं रख रखाव करते आ रहे है ।

वादी राज्य सरकार की सेवा [illegible] के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय [illegible] जिला श्रीगंगानगर में पदस्थापित हैं वादी का सही एवं वास्तविक नाम जगदीश [illegible]र है, जो कि चक 3 जी बड़ी के खाता संख्या 69/46 में वादी का नाम जगदीश कुमार अंकित है, इसी प्रकार से वादी के सरकारी विभाग से जारी पहचान संबंधी दस्तावेजात जिनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राजकीय सेवा के पहचान पत्र , आयकर विभाग के पेन कार्ड में वादी का नाम जगदीश कुमार ही अकिंत है। लेकिन वादी का नाम चक 3 जी बड़ी के खाता संख्या 68/45 में 1.0846 हैक्टे0 की कृषि भूमि में लिपिकीय त्रुटि से जगदीश कुमार के स्थान पर जगजीत राम पुत्र सुमार राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अंकित हो गया है इसलिए वादी अब उक्त जमाबन्दी चक 3 जी बड़ी के खाता संख्या 68/45 रकबा 1.0846 हैक्टे0 में अपना नाम चक 3 जी बड़ी के खाता संख्या 69/46 के अनुसार जगदीश कुमार माननीय न्यायालय के जरिये घोषणात्मक डिक्री के जरिये संशोधन करवाना चाहता है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 3 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 68/45 के मु.न. 61 स्थित रकबा 1.0860 हैक्टे0 के राजस्व रिकार्ड /जमाबंदी में वादी का नाम जगजीतरात के स्थान पर जगदीश कुमार घोषित व उसी डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेख में संशोधन किये जाने की आज्ञाप्ति पारित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार भू. अ., श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 4881 दिनांक 04.07.2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें वादी का समस्त दस्तावेजात में नाम जगदीश कुमार पुत्र सुमार राम अकिंत होना बताया गया। प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, ततारसर, श्रीगंगानगर के पत्रांक एसपीएल 01 दिनांक 17.06.2020 एवं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोठा श्रीगंगानगर की रिर्पोट के अनुसार जगजीत राम पुत्र सुमारराम एवं जगदीश कुमार जुति मेघवाल गांव कालियॉ जिला श्रीगंगानगर के निवासी है यह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है इनके समस्त दस्तावेज में इनका नाम जगदीश कुमार ही है। प्रतिवादी संख्या 01 प्रतापराम द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि चक 3 जी बड़ी के खाता संख्या 68/45 की जंमाबंदी में लिपिकीय त्रुटी से जगदीश कुमार के स्थान पर जगजीत राम पुत्र सुमार राम अकिंत हो गया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।. पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत उसका आधार कार्ड सं0 363031104052, आरजीएचएस कार्ड संख्या 21042021218276632, पैनकार्ड फोटोयुक्त सं0 ARUPK539A एवं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ततारसर एवं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोठा तथा तहसीलदार भू. अ., श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04.07.2025 को रिपोर्ट के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, राजस्व कास्तकारी अधिनियम एवं 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर वादी का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 चक 3 जी बड़ी, पटवार हल्का कालिया, भू0 अ0 नि0 कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 68/45 में **'जगजीतराम '** को संशोधित कर **''जगदीश कुमार''** दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.09.2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:54 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक)

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वाद संख्या 27 / 2020
अन्तर्गत धारा 88, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

1. जगदीश कुमार पुत्र श्री सुमार राम जाति मेघवाल निवासी–गांव कालियां तहसील व जिला श्री गंगानगर। .... वादी

ब ना म

4. प्रताप राम पुत्र श्री सुमार राम जाति मेघवाल निवासी–गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
5. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कालियां .. प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री मुकेश कुमार हरलालानी (अधिवक्ता वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–2)

दिनांकः– 08 सितम्बर, 2025

वाद संख्या 27 / 2020
अन्तर्गत धारा 88, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार हरलालानी व पैरोकार राज प्रतिवादी– 02 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 चक 3 जी बड़ी, पटवार हल्का कालिया, भू0 अ0 नि0 कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 68/45 में **'जगजीतराम '** को संशोधित कर **"जगदीश कुमार"** दर्ज किया जावे। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय ...शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य ....आज की तिथि से वसूली दिवस तक ब्याज का। आज दिनांक 08.09.2025 को डिक्री जारी की गयी। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:54 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं,
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:54 IST
Reason: SelfAttested